रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.)-72

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 234] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 4, 1985/ज्येष्ठ 14, 1907

No. 234] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 4, 1985/JYAISTHA 14, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, 4 जून, 1985

अधिसूचना

सा. का. नि. 481 (अ) :—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

"सं. आ. 122

**संविधान (जम्मू-कश्मीर को लागू होना) संशोधन आदेश, 1985**

राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जम्मू-कश्मीर राज्य की सरकार की सहमति से निम्नलिखित आदेश करते हैं :—

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम संविधान (जम्मू-कश्मीर को लागू होना) संशोधन आदेश, 1985 है ।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा ।

2. संविधान (जम्मू-कश्मीर को लागू होना) आदेश, 1954 के पैरा 2 में,—

(1) उप-पैरा (6) के खंड (ख) में, अनुच्छेद 248 में, —

(i) खंड (क) को खंड (कक) के रूप में पुनःअक्षरांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनःअक्षरांकित उस खंड में, "क्रियाकलापों को रोकने" शब्दों के स्थान पर "अन्य क्रियाकलापों को रोकने" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) इस प्रकार पुनःअक्षरांकित खंड (कक) के पूर्व, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(क) विधि द्वारा स्थापित सरकार को आतंकित करने या जनता या जनता के किसी वर्ग में आतंक उत्पन्न करने या जनता के किसी वर्ग को पृथक करने या जनता के विभिन्न वर्गों के बीच समरसता

पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले आतंकवादी कार्यों को अंतर्वलित करने वाले क्रिया-कलापों को रोकने के संबंध में ;";

(iii) अंत में निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:-स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'स्पष्टीकरण—इस अनुच्छेद में, "आतंकवादी कार्य" से बमों, डाइनामाइट या अन्य विस्फोटक पदार्थों या ज्वलनशील पदार्थों या अग्न्यायुधों या अन्य प्राणहर आयुधों या विषों का या अपायकर गैसों या अन्य रसायनों या परिसंकटमय प्रकृति के किन्हीं अन्य पदार्थों का (चाहे वे जैव हों या अन्यथा) उपयोग अभिप्रेत है।';

(2) उप-पैरा (22) में.—

(i) (संघ सूची से संबंधित) खंड (क) के उपखंड (iv) में, प्रविष्टि 97 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

97(क) विधि द्वारा स्थापित सरकार को आतंकित करने या जनता या जनता के किसी वर्ग में आतंक उत्पन्न करने या जनता के किसी वर्ग को पृथक करने या जनता के विभिन्न वर्गों के बीच समरसता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले आतंकवादी कार्यों को अन्तर्वलित करने वाले;

(ख) भारत की प्रभुता तथा प्रादेशिक अखंडता को अनअंगीकृत, प्रश्नगत या विछिन्न करने. अथवा भारत राज्य-क्षेत्र के किसी भाग का अध्यर्पण कराने अथवा भारत राज्यक्षेत्र के भाग को संघ से विलग कराने अथवा भारत के राष्ट्रीय ध्वज, भारतीय राष्ट्र-गान और इस संविधान का अपमान करने वाले, क्रियाकलापों को रोकना और समुद्र या वायु द्वारा विदेश यात्रा, अंतर्देशीय हवाई यात्रा और डाक वस्तुओं पर, जिनमें मनीआर्डर, फोनतार और तार भी हैं, कर।

स्पष्टीकरण—इस प्रविष्टि में, "आतंकवादी कार्य" का वही अर्थ है जो अनुच्छेद 248 के स्पष्टीकरण में है।" :

(ii) (समवर्ती सूची से संबंधित) खंड (ग) में, उपखंड (ik) और उपखंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"(ik) प्रविष्टि 2 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"2. दंड प्रक्रिया (जिसके अंतर्गत अपराधों को रोकना तथा दंड न्यायालयों का, जिनके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय नहीं हैं, गठन और संगठन है) जहां तक उसका संबंध—

(i) किन्हीं ऐसे विषयों से जो ऐसे विषय हैं जिनके संबंध में संसद् को विधियां बनाने की शक्ति है, संबंधित विधियों के विरुद्ध अपराधों से है; और

(ii) किसी विदेश में राजनयिक और कौंसलीय अधिकारियों द्वारा शपथ दिलाए जाने तथा शपथपत्र लिए जाने से है।" ;

(ख) प्रविष्टि 12 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"12. साक्ष्य तथा शपथें, जहां तक उनका संबंध—

(i) किसी विदेश में राजनयिक और कौंसलीय अधिकारियों द्वारा शपथ दिलाए जाने तथा शपथपत्र लिए जाने से है; और

(ii) किन्हीं ऐसे अन्य विषयों से है जो ऐसे विषय हैं जिनके संबंध में संसद् को विधियां बनाने की शक्ति है।" ;'।

जैल सिंह,
राष्ट्रपति"

[सं. फा. 19(4)/85-एल.-I]
रु. वेंकट सूर्य पेरिशास्त्री, सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

New Delhi, the 4th June, 1985

NOTIFICATION

G.S.R. 481(E).—The following Order made by the President is published for general information

"C. O. 122

THE CONSTITUTION (APPLICATION TO JAMMU AND KASHMIR) AMENDMENT ORDER, 1985

In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 370 of the Constitution, the President, with

the concurrence of the Government of the State of Jammu and Kashmir, is pleased to make the following Order :—

1. (1) This Order may be called the Constitution (Application to Jammu and Kashmir) Amendment Order, 1985.

(2) It shall come into force at once.

2. In paragraph 2 of the Constitution (Application to Jammu and Kashmir) Order, 1954,—

(1) in clause (*b*) of sub-paragraph (6), in article 248,—

(i) clause (*a*) shall be relettered as clause (*aa*) and in that clause as so relettered, for the words "prevention of activities", the words "prevention of other activities" shall be substituted;

(*ii*) before clause (*aa*) as so relettered, the following clause shall be inserted, namely :—

"(*a*) prevention of activities involving terrorist aets directed towards overawing the Government as by law established or striking terror in the people or any section of the people or alienating any section of the people or adversely affecting the harmony amongst different seetions of the people;";

(*iii*) the following *Explanation* shall be inserted at the end, namely :—

'*Explanation.*—In this article, 'terrorist act' means any act or thing by using bombs, dynamite or other explosive substances or inflammable substances or firearms or other lethal weapons or poisons or noxious gases or other chemicals or any other substances (whether biological or otherwise) of a hazardous nature.';

(2) in sub-paragraph (22),—

(*i*) in sub-clause (iv) of clause (a) (relating to the Union List), for entry 97, the following entry shall be substituted, namely :—

'97. Prevention of activities—

(*a*) involving terrorist acts directed towards overawing the Government as by law established or striking terror in the people or any section of the people or alienating any seetion of the people or adversely affecting the harmony amongst different sections of the people;

(*b*) directed towards disclaiming, questioning or disrupting the sovereignty and territorial integrity of India or bringing about cession of a part of the territory of India or secession of a part of the territory of India from the Union or causing insult to the Indian National Flag, the Indian National Anthem and this Constitution;

taxes on foreign travel by sea or air, on inland air travel and on postal articles, including money orders, phonograms and telegrams.

*Explanation.*—In this entry, "terrorist act" has the same meaning as in the *Explanation* to article 248.';

(*ii*) in clause (c) (relating to the Concurrent List), for sub-clauses (*ia*) and (*ib*), the following sub-clauses shall be substituted, namely :—

'(*ia*) for entry 2, the following entry shall be substituted, namely :—

"2. Criminal procedure (including prevention of offences and constitution and organisation of criminal courts, except the Supreme Court and the High Court) in so far as it relates to,—

(*i*) offences against laws with respect to any matters being matters with respect to which Parliament has power to make laws; and

(*ii*) administration of oaths and taking of affidavits by diplomatic and consular officers in any foreign country.";

(*ib*) for entry 12, the following entry shall be substituted, namely :—

"12. Evidence and oaths in so far as they relate to,—

(*i*) administration of caths and taking of affidavits by diplomatic and consular officers in any foreign country; and

(*ii*) any other matters being matters with respect to which Parliament has power to make laws.";'.

ZAIL SINGH,
President"

[No. F. 19(4)/85-L.I.]
R.V.S. PERI SASTRI, Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110064, 1985